a Departmental Promotion Committee exists, hat is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation of direct recruitment :— . Joint Secretary (Admn.), Ministry of Home Affairs —Chairman . Director/Deputy Secretary (Admn.) —Member **Note :** The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. A/12018/01/2010-Ad. V]
ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 231.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) समूह 'क' भर्ती नियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) समूह 'क' भर्ती नियम, 2010 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.–वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.–इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा)	1* (2010) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	15600-39100 रुपए पे बैंड-3+ग्रेड पे 6600 रुपए	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** अनुसंधान अधिकारी (भाषा)/भाषाविद के रूप में पे बैण्ड-3 रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु. 5400 के साथ ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा । **टिप्पणी 1 :** जहां अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे पूरी वांछित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, रखते हों और अपने उन कनिष्ठों के साथ, जोकि यह अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके हैं, अगली ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपना प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों । **टिप्पणी 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा वह तिथि जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया, नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूपी ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है हो तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति/प्रोन्नति पर विचार हेतु :— 1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —सदस्य 3. भारत के अपर महारजिस्ट्रार, अथवा भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

[फा. सं. ए-16011/4/2000-प्रशा. 2/प्रशा-5]
सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 1st December, 2010

G.S.R. 231.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General, India [Senior Research Officer (Language) Group 'A' Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or ommitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Research Officer (Language) in the office of the Registrar General, India, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Senior Research Officer (Language) Group 'A' Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the above said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Research Officer (Language)	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Grade pay Rs. 6600	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By promotion	**Promotion :** Research Officer (Language)/Linguist in Pay Band-3 Rs. 15600-39100 with grade Pay of Rs. 5400 with five years' regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have competed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service tendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Registrar General, India —Chairman 2. Joint Secretary (Administration) Ministry of Home Affairs —Member 3. Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-16011/4/2000-Ad.II/Ad.V]
SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 232.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में बहु-कृतिक कर्मचारीवृंद संबंधी सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) बहु-कृतिक कर्मचारीवृंद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।